संख्या- 33 /2022/774जेएल/22-3-2022-200(1)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2022

विषयः-आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युकत विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18620/प्रो0अनु0(2)-234/2022/होमलीव, दिनांक 10-06-2022 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार लखनऊ मे निरूद्ध 128 सिद्धदोष बंदियों के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों मे संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय किः-

i. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।
ii. यिद कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।
iii. यिद बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।
iv. गृह अवकाश उन्ही बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।
v. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।
vi. बंदी के पास रहने के लिए घर हो उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहें।
vii. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जायगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिया जाय।

....2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-33(1)/2022/774जेएल/22-3-2022-**तददिनांक।**

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,उ0प्र0।

2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-18620/प्रो0अनु0(2)-234/2022/होमलीव, दिनांक 10-06-2022 के सन्दर्भ में।

3- गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-33 /2022/774जेएल/22-3-2022-200(1)/2022

दिनांक 01 जुलाई, 2022 का संलग्नक।

क्र0	बंदी/पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1.	गिरीश चन्द्र पुत्र मथुरा प्रसाद	लखनऊ	14707
2.	सुरेन्द्र पुत्र भोला	उन्नाव	14530
3.	भगवानदीन पुत्र सत्य नारायण	उन्नाव	14568
4.	बाबू पुत्र जफ्फू	हरदोई	14759
5.	महेश पुत्र राम कुँवर	जे0पी0 नगर	14898
6.	सुशील कुमार पुत्र बुधराज	फतेहपुर	17023
7.	मुकेश सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह	लखनऊ	15000
8.	जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह	उन्नाव	15090
9.	राम प्रताप यादव उर्फ बड़े भैया पुत्र आशाराम	हरदोई	15092
10.	हरिवंश यादव उर्फ गोबरी पुत्र ढोढई	महराजगंज	16006
11.	अशोक पुत्र रमेश	उन्नाव	15112
12.	ओमकार पाल पुत्र लल्लू राम पाल	जालौन	15996
13.	शकील पुत्र बशीर	रामपुर	16079
14.	गिरिराज सिंह पुत्र सरनाम सिंह	हरदोई	15098
15.	भगलू लोध पुत्र बटेश्वर लोध	हरदोई	15108
16.	सोमनाथ पुत्र बटेश्वर लोध	हरदोई	15109
17.	सुरेन्द्र पुत्र तुलसीराम	फरूर्खाबाद	15111
18.	दिवारीलाल पुत्र गुलजारी	फरूर्खाबाद	15123
19.	ब्रजेश पुत्र कमला गौड	देवरिया	15149
20.	एहतशाम अली पुत्र स्व0 इलियास अली	कन्नौज	15987
21.	शिव कुमार उर्फ शिब्बा पुत्र राधाकृष्ण उर्फ रामकिशन	बदायूँ	15265
22.	रामस्वरूप पुत्र डालचन्द	पीलीभीत	15266
23.	डा0 अजहर पुत्र इसरार साकिब	पीलीभीत	15267
24.	तुलसी राम पुत्र नोखेलाल	पीलीभीत	15268
25.	रामवीर सिंह उर्फ रामू पुत्र महेन्द्र पाल सिंह	शाहजहाँपुर	15269
26.	प्रेमपाल पुत्र बुद्धसेन	पीलीभीत	15475
27.	दाताराम पुत्र मंगली	पीलीभीत	15476
28.	नत्थूलाल पुत्र बुद्धसेन	पीलीभीत	15477
29.	सत्येन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह	उन्नाव	15131
30.	स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र मोहब्बत	उन्नाव	15132
31.	विनोद कुमार सिंह पुत्र शम्भू सिंह	हरदोई	15216
32.	अशोक कुमार पुत्र सूर्य प्रसाद	सीतापुर	15259
33.	पातीराम पुत्र रामचन्द्र	पीलीभीत	15546
34.	राम प्रवेश पुत्र गनेश	देवरिया	15589
35.	अवधेश पुत्र गुरूदीन मुराऊ	सीतापुर	15592
36.	लालाराम पुत्र कन्धई लाल	पीलीभीत	15594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

37.	रामस्वरूप पुत्र कन्धईलाल	पीलीभीत	15595
38.	रामभरोसे पुत्र राम प्रसाद	पीलीभीत	15596
39.	सूर्य प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद	सीतापुर	15602
40.	कमलेश पुत्र गुरूदीन मुराऊ	सीतापुर	15604
41.	शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र फूल सिंह उर्फ छत्रपाल सिंह	फैजाबाद	15653
42.	उमाशंकर पुत्र नोखेलाल	पीलीभीत	15970
43.	कमला उर्फ कमलेश पुत्र धनैया	महोबा	15982
44.	छोटे पुत्र बद्री प्रसाद शाहू	बांदा	15983
45.	ओमकार पुत्र वासी जाटव	गाजियाबाद	16076
46.	संगमलाल उर्फ गोली पुत्र सुकई	बाराबंकी	16009
47.	बालजीत पुत्र जागनलाल	पीलीभीत	16024
48.	राजवीर पुत्र त्रिमल यादव	बदायूं	16025
49.	बरम सिंह उर्फ ब्रह्म सिंह पुत्र हरपाल सिंह	बिजनौर	16027
50.	सफीजान पुत्र शमशाद	हरदोई	16071
51.	अकबर अली पुत्र अशरफ अली	रामपुर	16078
52.	दद्दन यादव पुत्र चन्द्रिका यादव	देवरिया	16098
53.	दिनेश पुत्र राम आसरे	बाराबंकी	16099
54.	माना उर्फ मन्नीलाल पासी पुत्र शीतल प्रसाद	प्रयागराज	17020
55.	श्याम सुन्दर पुत्र बाबूराम	मुरादाबाद	17025
56.	शैलेन्द्र सिंह पुत्र झब्बर सिंह	बहराइच	17031
57.	पौवा उर्फ पप्पू पुत्र मासूक	कन्नौज	17047
58.	निसार पुत्र फारूक	कन्नौज	17048
59.	सूरवीर सिंह पुत्र अमृत सिंह	एटा	17056
60.	कालीचरन पुत्र रामबहादुर	पीलीभीत	17064
61.	भगीरथ पुत्र मनोहरलाल	पीलीभीत	17065
62.	जागन लाल पुत्र मनोहर लाल उर्फ रामचरन	पीलीभीत	17066
63.	बरसाती पुत्र भगवानदीन कोरी	बाराबंकी	17007
64.	कुर्री उर्फ किरन पुत्र करन सिंह	बुलन्दशहर	17082
65.	सुभाष पुत्र रामबाबू	अलीगढ	17081
66.	नवनीत उर्फ भूरे पुत्र चन्द्र प्रभाकर शर्मा	पीलीभीत	17086
67.	बुद्धसेन पुत्र बिहारी लाल	पीलीभीत	17093
68.	नन्हेलाल पुत्र राम भरोसे	पीलीभीत	17094
69.	भगवत स्वरूप पुत्र नरायनलाल	पीलीभीत	17095
70.	कुंवरसेन पुत्र कन्धईलाल	पीलीभीत	17097
71.	लालमन पुत्र नरायनलाल	पीलीभीत	17098
72.	श्रीकृष्ण पुत्र छेदालाल	पीलीभीत	17099
73.	जनवरी पुत्र केशवराम	बाराबंकी	17112
74.	लल्लन सिंह पुत्र रामकिशोर	देवरिया	17115
75.	विजय कुमार पुत्र गजाधर	जौनपुर	17120
76.	ज्ञान प्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र लक्ष्मीकान्त	गोरखपुर	17136

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

77.	सत्यनरायन उर्फ जौली पुत्र घनश्याम तिवारी	फरूर्खाबाद	17141
78.	राजेश वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल वर्मा	लखीमपुर खीरी	17145
79.	देवेश अग्निहोत्री पुत्र चन्द्र प्रकाश अग्निहोत्री	लखीमपुर खीरी	17146
80.	निजाम पुत्र अशरफ	रामपुर	17155
81.	अतीक पुत्र रऊफ	कन्नौज	17162
82.	गंगाराम पुत्र चौबे लाल	रायबरेली	17183
83.	तीरथ पुत्र बाबू	बहराइच	17186
84.	लतीफ पुत्र मासूक	कन्नौज	17189
85.	मनोज पुत्र जगदीश जाट	मथुरा	17132
86.	बैजनाथ चौरसिया पुत्र कनिकराम चौरसिया	बस्ती	17167
87.	मनोज कुमार पुत्र राजनाथ	गाजीपुर	17113
88.	विरेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ गुड्डू पुत्र राम शंकर पाण्डेय	बस्ती	17207
89.	बन्टी पुत्र कुन्दन	बदायूँ	17209
90.	गुरूविन्दर पुत्र राम सेवक	लखीमपुर खीरी	17210
91.	चितरंजन कुर्मी पुत्र सुशील कुर्मी	बलिया	17231
92.	मुकेश पुत्र अमर सिंह	बदायूँ	17224
93.	विजय प्रकाश शुक्ला पुत्र गया प्रसाद शुक्ला	अमेठी	17233
94.	अनीश पुत्र रफीक अहमद	पीलीभीत	17264
95.	रामदेव पुत्र महेन्द्र	पीलीभीत	17266
96.	कृष्णपाल उर्फ केशपाल पुत्र सुन्दर लाल	शाहजहाँपुर	17272
97.	सुरेश पुत्र रामलखन	बहराइच	17294
98.	काशीराम पुत्र तुलसीराम	बहराइच	17295
99.	सागर पुत्र सालिकराम	बहराइच	17296
100.	मुनीम पुत्र रसीद	हरदोई	17074
101.	विनोद तिवारी पुत्र रामप्रकाश	जालौन	17187
102.	प्रदीप तिवारी पुत्र राम प्रकाश	जालौन	17188
103.	विजय बहादुर मल्ल पुत्र राम करन मल्ल	देवरिया	17215
104.	राजीव पुत्र ओम प्रकाश सिंह	मेरठ	17313
105.	कल्लू पुत्र राम सरन काछी	जालौन	17301
106.	लालता उर्फ ललितेश पुत्र मोरध्वज खागी	सम्भल (मुरादाबाद)	17317
107.	नन्हे उर्फ राजकपूर पुत्र राम मिलन	अयोध्या (फैजाबाद)	17330
108.	पुष्पेन्द्र चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र राम भरत	बस्ती	15483
109.	केशव सिंह उर्फ केशो पुत्र अतर सिंह	मथुरा	17175
110.	सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरिशचन्द्र	मथुरा	17176
111.	टुनटुन उर्फ जय प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र रमाशंकर लाल	मिर्जापुर	17369
112.	राम नेवाज पुत्र भाईलाल	बाराबंकी	17348
113.	चाँद मोहम्मद पुत्र अब्दुल खालिक	बस्ती	17367
114.	राजू पुत्र मोती हरिजन	बस्ती	17372
115.	मो0 सलीम पुत्र मो0 शाहिद	लखनऊ	14954
116.	संदीप कुमार पुत्र कृष्ण मोहन	अम्बेडकरनगर	17342

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

117.	अमीर अहमद पुत्र जमीर अहमद	जे0पी0 नगर	17321
118.	शाने पुत्र जमीर अहमद	जे0पी0 नगर	17326
119.	मुनव्वर पुत्र अल्लानूर	सम्भल (मुरादाबाद)	17338
120.	सुरेश उर्फ सोनू पुत्र सुखदेव	बिजनौर	17389
121.	राम नरेश पुत्र मोल्हेराम	बहराइच	17390
122.	कौशल कुमार पुत्र मोल्हेराम	बहराइच	17393
123.	कलुआ पुत्र खलील	पीलीभीत	17378
124.	वरूण उर्फ चीनू पुत्र पातांजलि भारद्वाज	बदायूँ	17380
125.	बंटी पुत्र रामजी लाल	बुलन्दशहर	17402
126.	मइनुद्दीन पुत्र जमीलुद्दीन	मेरठ	17329
127.	मुख्तार अहमद पुत्र मो0 शरीफ	प्रयागराज	17194
128.	नीरज कुमार पुत्र कालिका	शाहजहाँपुर	17211

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।